न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 134 / 2015

1 मनोज कुमार पुत्र गुट्टाराम जाति खाती निवासी ढ़ाणी पूछलावाली तन नीमकाथाना जिला सीकर।

बनाम
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

1 जगदीश प्रसाद पुत्र गुट्टाराम।
2 रामजीलाल पुत्र गुट्टाराम।
3 सन्तरा देवी पुत्री गुट्टाराम।
4 पतासी पुत्री गुट्टाराम।
5 दयालचन्द पुत्र हनुमान।
6 विमला देवी पुत्री मूलचन्द।
7 सावित्री पुत्री मूलचन्द।
8 प्रेम पुत्री मूलचन्द।
9 रोहताश पुत्र मूलचन्द।
10 महेश पुत्र मूलचन्द समस्त जाति खाती निवासीगण ढ़ाणी पूछलावाली तन नीमकाथाना जिला सीकर।
11 उप पंजीयक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।
12 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।
13 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बाबत
उनवानी मनोज कुमार बनाम जगदीश आदि
प्रकरण संख्या 108/2015 में पारित प्राथमिक
निर्णय व डिक्री की अपील

अपील संख्या 89/2015

1 मनोज कुमार पुत्र गुट्टाराम जाति खाती निवासी ढ़ाणी पूछलावाली तन नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र गुट्टाराम।
2 रामजीलाल पुत्र गुट्टाराम समस्त जाति खाती निवासीगण ढ़ाणी पूछलावाली तन नीमकाथाना जिला सीकर।
3 उप पंजीयक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.07.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
बाबत अनुवानी मनोज कुमार बनाम जगदीश
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
126/2015 आगामी पेशी दिनांक 31.07.15

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.12.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 108/2015, 126/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। इन दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग—अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा संख्या 108/2015 बाबत भूमि खसरा नम्बर 75,78,79 वाके ग्राम नीमकाथाना बाबत विभाजन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 134/2015 प्रस्तुत की गई है। इसी वाद के साथ वादी अपीलांट ने धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 126/2015 प्रस्तुत किया है। जिसमें दिनांक 01.06.2015 को अन्तरिम अस्थाई

निषेधाज्ञा जारी की गई एवं विचाराधीन आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की गई । इससे व्यथित होकर अपील संख्या 89/2019 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। इससे पक्षकारों के मध्य विवाद बढेगा मौके पर पक्षकारान अलग – अलग काबिज काश्त है किन्तु विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउन्डस होना आवश्यक है विचारण न्यायालय ने विधि के विपरित जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की है। अत दोनों अपीले स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विभाजन का दावा प्रस्तुत किया एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पेश करने के दिन जारी की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट यह बताने में सफल नही रहा है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोनों विचाराधीन निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है। अपील अपीलांट सारहीन है अपील खारिज की जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विभाजन का दावा प्रस्तुत किया एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पेश करने के दिन जारी की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट यह

बताने में सफल नही रहा है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोनों विचाराधीन निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोनों विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाये जाते है इनमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर